न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 80/2022

सुरतान बाई पुत्री किशना पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल
.......वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील वादनी : श्री मनोज आर्य
दायरा दिनांकः 13.06.2022
निर्णय दिनांक : 29.09.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 142 खसरा नं0 122 रकबा 1.89 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम भूलीबाई पुत्री किशना दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम सुरतान बाई पुत्री किशना है। जिसको वादनी भूलीबाई पुत्री किशना के स्थान पर सुरतान बाई पुत्री किशना दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजों पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड आदि में सुरतान बाई पुत्री किशना दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में भूलीबाई पुत्री किशना के स्थान पर सुरतान बाई पुत्री किशना दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम भूलीबाई पुत्री किशना के स्थान पर सुरतान बाई पुत्री किशना दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 13.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1394 दिनांक 14.09.2022 के अनुसार भूलीबाई पुत्री किशना और सुरतान बाई को बचपन में भूली बाई के नाम से भी पुकारा जाता था, भूलीबाई व सुरतान बाई एक ही महिला के नाम है, अन्य अलग–अलग के नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादनी का सही नाम भूलीबाई उर्फ सूरतान बाई सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादनी स्वयं एवं प्रभूलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी भगवानपुरा के आधार पर आराजी खाता संख्या 142 खसरा नं0 122 रकबा 1.89 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम भूलीबाई पुत्री किशना के स्थान पर भूलीबाई उर्फ सुरतान बाई पुत्री किशना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner